

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ० प्र० लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 25 जून, 2021

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

विषय- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-750/वि०का०/मु०मं०आ०यो०-ग्रा०/2021-22, दिनांक-15.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के नट(अनुसूचित जाति) एवं चैरो अनुसूचित जनजाति (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में) वर्ग के लोगों को उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक-02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.3 वनटांगिया/मुसहर/सहरिया/कोल/थारू वर्ग के साथ प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2019 एवं सपठित शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी0सी0-1 दिनांक-18.03.2021 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त गरीबी के दृष्टिकोण से निम्न श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. नट (अनुसूचित जाति)

2. चैरो अनुसूचित जनजाति (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-19/2021/240(1)/38-4-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, 30प्र0।
3. निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, 30प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, 30प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, 30प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
10. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18.गार्ड फाइल।

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।